उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-122/1046जेएल/22-3-15-300(11)/2015
लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2015

वारण्ट

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 एवं अन्य के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित निम्नलिखित 07 बंदियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है :-

(1) महेन्द्र पुत्र श्री विष्णुदयाल।
(2) गुड्डू कहार पुत्र श्री राधेश्याम।
(3)राधेश्याम पुत्र श्री गुलजारी।
(4)अवधेश पुत्र श्री देवनरायन।
(5)रामनरायन पुत्र श्री रतनू पासी।
(6)राजेश पुत्र श्री द्वारिका।
(7)श्रीराम कुशवाहा पुत्र श्री रघुवर दयाल।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदीगणों को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें कारागार में वापस भेज दिया जाये।

आर0के0 द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-122/2015/1046जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-11486/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/3/2014, दिनांक शून्य-03-2015 के संदर्भ में मूल संलग्नको सहित।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in